



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102024-257694
CG-DL-E-04102024-257694

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3973]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 3, 2024/आश्विन 11, 1946

No. 3973]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2024/ASVINA 11, 1946

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2024

का.आ.4332(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का मत है कि सार्वजनिक हित में और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह एतद्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करती है, नामत -

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इस आदेश को जियोटेक्स्टाइल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा। (2) यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त होगा।
- प्रयोज्यता** - यह आदेश इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सामानों या वस्तु पर लागू होगा, परंतु यह निर्यात के लिए बने सामानों या वस्तु पर लागू नहीं होगा।
- मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग** - उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सामान या वस्तु उसके कॉलम (3) में निर्दिष्ट सदृश भारतीय मानक के अनुरूप होगी और उस पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की योजना-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त लाइसेंस के तहत मानक चिह्न अंकित।
- प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी** - भारतीय मानक ब्यूरो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सामानों या वस्तु के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

अनुसूची			
क्रम सं.	सामान या वस्तु	भारतीय मानक (आईएस)	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जियोसिंथेटिक्स— कोस्टल और वाटरवेज प्रोटेक्शन हेतु सिंथेटिक पॉलीमर रोप गेबियन्स	आईएस 17880 :2022	जियोसिंथेटिक्स— कोस्टल और वाटरवेज प्रोटेक्शन हेतु सिंथेटिक पॉलीमर रोप गेबियन्स — विनिर्देशन

नोट: अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड (17) के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण, ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 6/1/2021-आरएंडडी (पार्ट-6)]
राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

Order

New Delhi, the 3rd October, 2024.

S.O. 4332(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

- Short title and commencement.** – (1) This Order may be called the Geotextiles (Quality Control) Order, 2024.
(2) This order shall come into force on 1st April, 2025.
- Application.** – This Order shall apply to goods or article specified in column (2) of the Schedule annexed to this Order, but shall not apply to such goods or article meant for export.
- Compulsory use of Standard Mark.** – The goods or article specified in column (2) of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) thereof and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- Certifying and enforcement authority.** – The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Goods or article	Indian Standard (IS)	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Geosynthetics — Synthetic Polymer Rope	IS 17880 :2022	Geosynthetics — Synthetic Polymer Rope Gabions for Coastal

	Gabions for Coastal and Waterways Protection		and Waterways Protection — Specification
--	--	--	--

Note: For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and published by the Bureau of Indian Standards from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), shall apply from the date of such publication.

[F.No. 6/1/2021-R&D (Pt.6)]

RAJEEV SAXENA, Jt. Secy.